

115

53

2011 : Dep. Sec. (U. D. P. Jaipur)

FAX NO. : 911415116792

Feb. 28 2011 12:53P

53

राजस्थान सरकार
नगर विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नवि.वि.3/2010

दिनांक 25 FEB 2011

परिपत्र

विषय :- राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन बाधक गाईड लाईन्स।

श्री.डी. सिविल रिट पेटिशन नं. 1554/2004 श्री न्याय कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2010 को भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में जारी आदेश अधिनियम अधिनियम के क्रम में प्राधिकरण/नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं गए हैं, तदनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के नियमानुसार स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है:-

(अ) जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, राजमेर तथा बीकानेर शहरों के मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी/ इकोलोजिकल क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि आश्रित भूमि में स्थित प्रकरणों के भू-उपयोग परिवर्तन बाधक:

1. इस क्षेत्र में नाननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन पर स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। अतः उक्त क्षेत्रों में नाननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रदत्त आदेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
2. इस क्षेत्र में यदि संबंधित निकाय/ नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में राजकीय/ जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित सचिव/ आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी अपने स्तर पर नियमानुसार परीक्षण उपरान्त, ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आर.एम.जांगिड के माध्यम से नाननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से भू-उपयोग परिवर्तन बाधक पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही राज्य स्तरीय/सक्षम भू-उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किए जावेंगे।
3. परिधि नियंत्रण पट्टी/ इकोलोजिकल क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरण जिनमें आश्रित उपयोग मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग के अनुरूप है, उनमें भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार अधिनियम कार्यवाही संबंधित निकाय/ नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की जा सकती।

(286)

(4) लखनपुर, जोधपुर, झंडा, उदयपुर अजमेर तथा बीकानेर शहरों के मास्टर प्लान में वरिष्ठ नियंत्रण मंडी/ ईकोलॉजिकल क्षेत्र/ कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों में भू-उपयोग परिवर्तन में स्थित भूमि के उपयोगों के भू-उपयोग परिवर्तन तथा छ: शहरों के अलावा अन्य शहरों में भू-उपयोग परिवर्तन बाबत :-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश से प्रभावित वर्णित क्षेत्रों का छोड़कर व अन्य शहरों के मास्टर प्लान में वर्णित क्षेत्रों में स्थित भूमि/ मूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 09.12.2010 में निर्देशित किया गया है कि अन्य जगहों में स्थित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन routine manner में नहीं किया जावे। इस आदेश के क्रम में पूर्व में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिन्हें भू-उपयोग परिवर्तन करते समय ध्यान में रखा जावे :-

1. नगरीय क्षेत्रों में स्थित आवासीय भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.10.10 को अधिसूचित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
2. नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी प्रपोजर डिजाई 16.04.10 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं कृषि भूमि के अकृषि परिवर्तन हेतु जारी परिपत्रों एवं आदेशों के तहत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।
3. भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के विनियम संख्या 12 में उल्लेखित शर्तों की सौझाई का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं नीचे पर निर्धारित सौझाई का पट्टा मार्ग उपलब्ध न होने पर संकेत पर निर्धारित सौझाई का मार्गाधिकार उपलब्ध होने एवं उस पर सड़क निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अन्तिम आदेश जारी किये जा सकेंगे।

भू-उपयोग परिवर्तन के आदेशों के साथ नियमानुसार शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित सचिव/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी द्वारा नियमानुसार जनसूचना से आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु दिज्ञापित राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावे। प्राप्त आपत्तियों को परीक्षण उपरान्त सूचना

को 30(35) मंडी/3/10
दि. 15.6.11

FROM : Dep. Sec., U. D. D. Jaipur

FAX NO. : +911415116782

Feb. 28 2011

विभागीय
प्रति
3/10
दि: 15.6.11

- समिति के समक्ष निरूपण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आवृत्तियां आवृत्तित किये जाने हेतु निर्धारित या दिनांक 15.04.10 से पूर्व होने की दिशा में प्राप्ति प्राप्त निर्धारित शुल्क सादर पुनः अवेदन करना होगा एवं तदनुसार पुनः विज्ञापित जारी करने के उपरान्त नये सिरे से अग्रिम कार्यवाही हो जा सकेगी।
5. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश में उल्लेखित कतिपय उपयोगों पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू-उपयोग परिवर्तन निषेध है। यदि संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रकार में राजकीय/जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन अति आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित सचिव/आयुक्त/अधिसूची अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर नियमानुसार परीक्षण उपरान्त ऐसे प्रकारों को आवृत्तित पूर्ण टिप्पणी/अभिप्राय सहित राज्य समिति के समक्ष राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश याथा दिनांक 25.02.09, 18.04.10, टाउनशिप कोडिफिकेशन आदि में उल्लेखित संबंधित प्रावधानों की अनुपालना में निर्णय हेतु प्रेषित किए जावेंगे।
6. निम्न प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन पर नगर प्राधिकरण/नगर परिषद/नगर निगम/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण स्तरीय समिति के स्तर पर निषेध रहेंगे:-
- i. किसी भी शहर के ग्रामपंचायत/फाइनेल मास्टर प्लान में अनुमोदन से 2 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
 - ii. उदयपुर शहर एवं माउण्ट आबू का निविद क्षेत्र एवं पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय संबंधित समिति द्वारा उनका प्रत्याभोजित शक्तियों के अनुसार लिया जायेगा, किन्तु राजत निर्णय को लागू करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।
 - iii. 15 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर विद्यमान आवासीय उपयोग के भूखण्डों

(4)

- iv. परिधि नियंत्रण क्षेत्र में 5 एकड़ से ऊपर बड़ी समस्त परियोजनाएँ व 10 एकड़ अथवा उससे बड़े मलबेपूर्ण संस्थानों के उपयोगों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन विषिष्ट होंगे। अफॉर्डेबल हाउसिंग योजनाओं के तहत आवेदित योजनाओं पर ऐसा विवेक लागू नहीं होगा।
- v. विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ नगर निगम/ परिषद/ पंचायत की योजनाओं के भूखण्ड जो 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित हैं। 60%॥
- vi. आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों का गैर आवासीय उपयोग में परिवर्तन।
- vii. मास्टर प्लान में दर्शायी गई इकोलॉजिकल जोन/ इकोसिस्टिक्स जोन।
- viii. सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग - योजना क्षेत्र या राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियाँ - खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, रिक्रीशन, नर्सरी, सुविधा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ जैसे - होस्पिटल, शमशान, कब्रिस्तान, बस स्टैण्ड, ट्रक टर्मिनल सरकारी/ अर्ध सरकारी कार्यालय, होलसेल बिजनेस, डेयर हाऊसिंग एवं गोदाम, रेपेरायलाइज्ड मार्केट इत्यादि।
- ix. नौलामी/आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन नौलामी/आवंटन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक। यदि मास्टर प्लान में दर्शायी गई भू-उपयोग चाहे गये भू-उपयोग के अनुरूप है तो 5 वर्ष की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- x. किसी भूखण्ड/भूमि का भू-उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्न रूप में विस्थापित जा रहा है तथा किश गये निर्माण चाहे गये उपयोग हेतु निर्धारित अनुरूप नहीं है तो ऐसे भूखण्ड/भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन निषिद्ध होगा।

(xi) ऐसी भूमि/भूखण्ड जो स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, अन्य राजकीय नियंत्रण वाले मण्डल, संस्थान आदि से संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित/अवाप्ताधीन हो।

ह0
(गुरदयाल सिंह संघु)
प्रमुख शासन सचिव

(290)